भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1320

उत्तर देने की तारीख 10.02.2020

आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना

†1320. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आदिवासी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदिवासी जिलों में विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों में छात्र नामांकन और छात्र प्रतिधारण अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अध्यापक-छात्र अंतर्संबंध और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्थानीय आदिवासी युवाओं में से ही शिक्षकों की भर्ती करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) तथा (ख): बच्चों के लिए नि अधिनियम (आरटीई) शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार :, 2009 की धारा 29 (2) (च शिक्षा का माध्यम" में कहा गया है कि (, जहां तक व्यावहारिक हो , बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए ।" राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कीरूपरेखा एनसीएफ)), 2005 बच्चे की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर बल देता है। चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है , इसलिए राज्यों को विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम तय करने की स्वतंत्रता है। एनसीएफ स्पष्ट रूप से कहता है कि त्रि भा-षायी सूत्र भारत में भाषाई स्थिति की चुनौतियों और समस्याओं के समाधान करने का एक प्रयास है। के अनुसार पढ़ाई जाने वाली पहली भाषा "भाषायी सूत्र-त्रि" मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के बीच सीखने की उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा और द्विभाषी प्राथमिक पुस्तकों के विकास के लिए राज्य सरकारों क्षेत्रों को-संघ राज्य / सहायता प्रदान करता है। अब तक82 भाषायी प्राथमिक पुस्तकें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निम्नानुसार तैयार की जा चुकी हैं :

राज्य	प्राथमिक पुस्तकों का विवरण	शामिल भाषा / जनजाति
त्रिपुरा	14 प्राथमिक पुस्तकें	कोकबोरक, हलाम, मोग, गारो, कूकी, मिजो
ओडिशा	5 प्राथमिक पुस्तकें	जुआंग, किसान, कोय, ओरम, सौरा
महाराष्ट्र	11 प्राथमिक पुस्तकें	गोंडी, हल्बी, कोकनी, कोलमी, कोरकू, माडिया, मावची, पारधी, पावरी, ठाकरी

राज्य	प्राथमिक पुस्तकों का विवरण	शामिल भाषा / जनजाति
मध्य प्रदेश	15 प्राथमिक पुस्तकें	हलबी, कुधुख, भीली, गोंडी, कोरकू,,
केरल	6 प्राथमिक पुस्तकें	कट्टुनिकन, पनियन
छत्तीसगढ़	5 प्राथमिक पुस्तकें	कुकुडु, प्रजा, हल्बी, भारिया
झारखंड	5 प्राथमिक पुस्तकें	कुकडू, खड़िया, खोरट
तेलंगाना	5 प्राथमिक पुस्तकें	गोंडी, कोया, कोलमी, कोंध, बंजारा
पश्चिम बंगाल	16 प्राथमिक पुस्तकें	ओलचिकी, कुडुक

(ग): जैसा कि यू फ्लैश स्टेटिस्टिक :डीआईएसई-2016-17 में परिलक्षित है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सामाजिक श्रेणी द्वारा छात्र नामांकन तथा बालक तथा बालिकाओं के छात्र प्रतिधारण अनुपात के ब्यौरे निम्नानुसार है:

नामांकन

सामाजिक श्रेणी	प्राथमिक			माध्यमिक		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
सामान्य	16168128	14426317	30594445	5565226	5017546	10582772
अजा	12530869	11782642	24313511	3759773	3454067	7213840
अजजा	6762313	6318480	13080793	1683257	1593313	3276570
अन्य पिछड़ा वर्ग	28783449	27035694	55819143	9372215	8378457	17750672

ड्रॉप आउट

सामाजिक श्रेणी	प्राथमिक			माध्यमिक		
	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
सामान्य	4.48	4.96	4.71	15.14	16.27	15.68
अजा	8.30	7.86	8.09	23.06	21.99	22.55
अजजा	8.57	8.51	8.54	27.41	26.51	26.97
अन्य पिछड़ा वर्ग	6.10	5.79	5.95	20.28	19.77	20.04

(घ) तथा (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त करने तथा शिक्षक छात्र के बीच अनुक्रियाशीलता और रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए परामर्शी जारी कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस उद्देश्य के

लिए राज्य सरकारों को निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

*****